न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

प्रभु .... बनाम .... कुरडा [illegible]

किस्म मुकदमा .... धारा .... मु.नं. 197 वर्ष 2021
पुराना 1/2024

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
	अतः वकील प्रतिवादीगण 5 के अनुसार आज्ञा (ग्राम [illegible] रजिस्ट्री के यहां [illegible] राजस्व के 71/2015 [illegible] पुनः बनाम [illegible] के [illegible] की कार्यवाही [illegible] आदेश दिनांक 7/10/15, आपत्ति [illegible] प्रस्ताव दिनांक 27/10/15 तथा वकील प्रतिवादीगण के 4/2 ता 4/4 के [illegible] आपत्ति दिनांक 27/10/15 को [illegible] किये जाते है तथा तहसीलदार धोद के पत्रांक : 23./ 2015/ 1765 दिनांक 11/9/15 के [illegible] के [illegible] का [illegible] किया जाता है [illegible] के [illegible] पत्रावली [illegible] हेतु [illegible] पत्रावली [illegible] होवे वह [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * जिला-सीकर (राज.) *

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलारा– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

दावा/मु.सं. 01/2024 (नया मु.सं. 194/2025)

प्रभु पुत्र लादू उम्र 65 साल जाति माली निवासी ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर

–वादी

बनाम

01. कुरडाराम पुत्र धन्नाराम
02. चन्द्रपाल पुत्र धन्ना
03. भागोती पत्नी भंवरलाल
04. मदन पुत्र लादू (फौत)
    (4/1) छीतरमल सैनी पुत्र मदन
    (4/2) मांगीलाल पुत्र मदन
    (4/3) जेठी देवी पुत्री मदन
    (4/4) बुलाया देवी उर्फ जमना देवी पत्नी मदन
05. सुमन पत्नी कैलाश
    समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर
06. भूमिधारक, तहसीलदार, तहसील धोद, जिला सीकर
07. उपपंजीयक धोद, तहसील धोद, जिला सीकर
08. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा धोद जिला सीकर
09. डालुराम पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासी ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–
01. श्री जयपाल सिंह ओलखा, एड. वादी की ओर से
02. श्री बनवारीलाल बरवड़, एड. प्रतिवादी सं. 3 की ओर से
03. श्री दिनेश कुमार सैनी, एड. प्रतिवादी सं. 4/1 ता 4/4 की ओर से
04. श्री राजेश माथुर, एड. प्रतिवादी सं. 5 की ओर से

–:निर्णय:–

दिनांक– 10.11.2025

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा सं. 165 रकबा 0.9000 हेक्टेयर, खसरा सं. 169 रकबा 0.0700 हेक्टेयर कुल कित 2 कुल रकबा 0.9700 हेक्टेयर व खसरा सं. 216 रकबा 1.0700 हेक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर के संबंध में वादी के वाद में बंटवारे के अनुतोष को स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के बंटवारा हेतु तहसीलदार, सी[illegible] कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दिनांक 14.08.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जि[illegible] अ[illegible]लना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ/2025/1765 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा विभा[illegible] प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त के [illegible] की ओर से माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अ[illegible] के यहां अपील पेश किये जाने पर हस्तगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली उक्त माननीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उनके यहां भिजवाई गई। उक्त माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 03.10.2025 के द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर पत्रावली को न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को सूचित किया गया। प्रकरण में बाद सूचना के भी प्रतिवादी सं. 2 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी सं. 4/1 ता 4/4 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुये। वकील प्रतिवादी सं. 3 ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट के प्रकरण के अंतिम निस्तारण में सहमति प्रदान की। प्रतिवादिया सं. 5 की ओर से श्री राजेश माथुर, एड. उपस्थित हुये।

प्रकरण दावा में वकील प्रतिवादिया सं. 5 की ओर से दो आवेदन अलग–अलग पेश किये गये, जो इस प्रकार से है– (अ) प्रार्थना–पत्र बाबत राजस्व अपील अधिकारी के यहां लम्बित बाजदायरी सं. 11/2025 बउनवानी सुमन बनाम प्रभू वगैरह के दौरान प्रारम्भिक डिक्री की कार्यवाही रोके जाने बाबत आवेदन दिनांकित 17.10.2025 तथा (ब) आपत्ति विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 16.09.2025 आवेदन दिनांकित 27.10.2025 तथा वकील प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 की ओर से एक आवेदन पेश किया गया, जो इस प्रकार से है– (स) बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति बाबत आवेदन दिनांकित 27.10.2025, उक्तानुसार तीनों आवेदनों के संबंध में वकील वादी को अलग–अलग प्रतियां उपलब्ध करवाई जाने पर वकील वादी ने उक्त तीनों आवेदनों का जवाब पेश न कर सीधी बहस का अनुरोध किया गया। अतः उभयपक्षकारान को सूचित किया जाकर समग्र पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों से सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में वकील प्रतिवादिया सं. 5 व वकील प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 की ओर से अलग–अलग वर्णित आवेदन पेश किये गये है, जिनका अलग–अलग विवरण के अनुसार बिंदु (अ), (ब) व (स) के रूप में सुविधाजनक रूप से निस्तारण किया जा रहा है–

वकील प्रतिवादिया सं. 5 के आवेदन <u>(अ) प्रार्थना–पत्र बाबत राजस्व अपील अधिकारी के यहां लम्बित बाजदायरी सं. 11/2025 बउनवानी सुमन बनाम प्रभू वगैरह के दौरान प्रारम्भिक डिक्री की कार्यवाही रोके जाने बाबत दिनांकित 17.10.2025</u>–

उक्त आवेदन में संक्षिप्ततः वकील प्रतिवादिया सं. 5 ने निवेदन किया है कि "माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीया ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 186/2025 बउनवानी सुमन बनाम प्रभू प्रस्तुत की थी। उक्त अपील में माननीय अपीलेट न्यायालय द्वारा अपील एडमिट करके माननीय न्यायालय की पत्रावली तलब की गई थी। दिनांक 01.10.2025 को बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगन होने से अपीलान्ट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.10.2025 की जानकारी नहीं रही। इस वजह से प्रार्थीया व उनके अधिवक्ता अपीलेट न्यायालय में पहुँच नहीं सके। इस कारण दिनांक 03.10.2025 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में अपील खारिज कर दी गई थी। उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थीया की ओर से बाजदायरी सं. 11/2025 बउनवानी सुमन बनाम प्रभू प्रस्तुत कर दी गई थी तथा उक्त बाजदायरी में रेस्पोण्डेन्ट को न्यायालय में तलब किया जा चुका है। उक्त बाजदायरी में आगामी तारीख 31.10.2025 नियत है, जिसमें पुनः अपील की सुनवाई होना सुनिश्चित है। इसलिए न्यायहित में प्रारम्भिक डिक्री के तहत होने वाली आगे की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रारम्भिक डिक्री के आगे होने वाली कार्यवाही को दिनांक 31.10.2025 तक बाजदायरी में उचित आदेश आने तक रोके जाने की कृपा करें।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आवेदन का तथा समग्र पत्रावली आदि [illegible] से अवलोकन करने व उभयपक्षकारान की बहस के मनन के उपरांत यह स्पष्ट रूप से ज[illegible] है [illegible] हस्तगत दावा विभाजन के संबंध में है, जिसमें वादी अपना हिस्सा अलग करवाकर बंटवारा चाह[illegible]। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.08.2025 को जारी की जा चुकी है, [illegible] के पत्रांकः भू.अ./2025/1725

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * जिला-सीकर (राज.) *

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 16.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट पेश हो चुकी है। उक्त के संबंध में प्रतिवादिया सं. 5 के द्वारा माननीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां पेश अपील बउनवान सुमन बना प्रभू आदि मु.सं. 186/2025 को माननीय उक्त न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 03.10.2025 को उक्त प्रतिवादिया सं. 5/अपीलांट तथा उनके वकील के अनुपस्थित रहने पर अदम-पैरवी अदम हाजिरी में अपील को खारिज किया जा चुका हैं, जिसके संबंध में अब दिनांक 14.10.2025 को बाजदायरी पेश किया जाना अवगत करवाया जाकर हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही को रोके जाने का अनुतोष वकील प्रतिवादिया सं. 5 ने उक्त आवेदन में चाहा गया है। जबकि माननीय उक्त न्यायालय के द्वारा हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही रोके जाने तथा हस्तगत पत्रावली का रिकॉर्ड मंगवाये जाने के संबंध में दिनांक तक कोई आदेश जारी नहीं किये है। चूंकि प्रकरण दावा वादी के द्वारा वर्ष 2024 में अपने हिस्से के आराजियात के विभाजन के बाबत पेश कर प्रकरण में अनुतोष की मांग की है। प्रकरण में उक्त प्रतिवादिया सं. 5 व प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 के अतिरिक्त सभी पक्षकारान प्रकरण में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। जबकि इस संबंध में वकील प्रतिवादिया सं. 5 ने कार्यवाही रोके जाने का मुख्य अनुतोष चाहा है, जो कि उक्त अनुतोष इस स्तर पर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त आवेदन खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वकील प्रतिवादिया सं. 5 के एक अन्य आपत्ति आवेदन <u>(ब) आपत्ति विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 16.09.2025 आवेदन दिनांकित 27.10.2025</u>–

उक्त आवेदन में संक्षिप्ततः वकील प्रतिवादिया सं. 5 ने निवेदन किया है कि "विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व प्रार्थीया को कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं ना ही प्रार्थीया मौके पर उपस्थित थी। विभाजन प्रस्ताव केवल मात्र वादी की इच्छा के अनुरूप ही तैयार किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीया भूमि खसरा सं. 165 व 169 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9700 हेक्टेयर में 1/5 हक व हिस्से की खातेदार होने से 0.1940 हेक्टेयर की खातेदार है तथा खसरा सं. 216 रकबा 1.0700 हेक्टेयर में 0.4280 हेक्टेयर की खातेदार है। इस प्रकार तीनों खसरों में प्रार्थीया की खातेदारी में कुल भूमि 0.6220 हेक्टेयर दर्ज है। बंटवारा प्रस्ताव में खसरा सं. 169 में 0.0700 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 216 में 0.5465 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीया को दी गई है। बंटवारा प्रस्ताव में कुल भूमि जो प्रार्थीया को दी गई है वह 0.6165 हेक्टेयर है। इस प्रकार 0.0055 हेक्टेयर भूमि कम दी गई है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव निरस्त किए जाने योग्य है। खसरा सं. 216 सम्पूर्ण में ही प्रार्थीया का कब्जा काश्त सन् 2006 से चला आ रहा है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा 9 के पिता धन्नाराम ने उक्त भूमियों में से अपना हिस्सा सन् 1982 में प्रतिवादी सं. 4 मदन को विक्रीत करके कब्ज़ा सम्भला दिया था। उक्त बेचाननामें की लिखावट स्टाम्प क्रमांक 6267 दिनांकित 01.03.1982 पर दिनांक 14.03.1982 को की गई, जिस पर धन्नाराम व स्वयं वादी ने हस्ताक्षर किए थे। उक्त लिखावट के जरिये धन्नाराम व गणपतराम दोनों ने ही अपने हिस्से की भूमि को बेचान की लिखावट की थी। इसके बाद प्रतिवादी सं. 4 मदनलाल ने 10 रूपये के स्टाम्प क्रमांक 689 दिनांकित 08.02.2006 पर लिखावट के जरिये धन्नाराम व गणपत से उनके हिस्से की भूमि जो क्रय की गई थी तथा स्वयं के खातेदारी की भूमि को मिलाकर कुल 4 बीघा 13 बिस्वा पुख्ता को 2 लाख पच्चीस हजार रूपये प्रार्थीया से प्राप्त करके प्रार्थीया को बेचान कर दिया था। उक्त लिखावट के पश्चात गणपत के हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित........एवं स्वयं मदन के हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित........प्राथीया को विक्रीत कर दी गई थी किन्तु धन्ना के वारिसान द्वारा विक्रीत भूमि का विक्रय पत्र प्रार्थीया के पक्ष में पंजीबद्ध नहीं करवाया गया था। किन्तु भूमि खसरा सं. 216 के सम्पूर्ण रकबे पर केवल मात्र प्रार्थीया का ही कब्जा काश्त है। अन्य पक्षकारों का केवल मात्र खातेदारी में [illegible] है। वादी को केवल मात्र उसकी खातेदारी में दर्ज 1/5 हिस्से की भूमि ही विभाजन [illegible] दी जा सकती है किन्तु धन्नाराम के वारिसों द्वारा भूमि विक्रीत की जाने, [illegible] भूमि दर्ज होने के आधार पर भूमि विभाजन में नहीं दी जा सकती है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा सं. 216 सम्पूर्ण में केवल मात्र प्रार्थीया का ही कब्जा होने की रिपोर्ट [illegible] के अनुसार नहीं की है। इसलिए विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव निरस्त होने योग्य है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 16.09.2025 को निरस्त किए जाने की कृपा करें।"

उक्त आवेदन का तथा समग्र पत्रावली आदि का गहनता से अवलोकन करने व उभयपक्षकारान की बहस के मनन के उपरांत यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि हस्तगत दावा विभाजन के संबंध में है, जिसमें वादी के द्वारा अपना हिस्सा अलग करवाकर बंटवारा चाहता है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.08.2025 को जारी की जा चुकी है, जिसके बाद तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1725 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट पेश हो चुकी है। प्रकरण दावा में उक्त आपत्तिकर्ता/प्रतिवादिया सं. 5 की ओर से पूर्व में जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किये जाने के बाद उभयपक्षकारान से सुनवाई की जाकर ही उक्त प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। वकील आपत्तिकर्ता/प्रतिवादिया सं. 5 ने पूर्व में प्रस्तुत अपने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम में उल्लेखित तथ्यों व कथनों का ही अब अपने उक्त आपत्ति आवेदन में किसी बेचान की लिखावट या स्टाम्प पेपर आदि का उल्लेख उक्त आपत्ति आवेदन पेश किया किया है, जो कि विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। चूंकि उक्त काउंटर क्लेम को खारिज किया जा चुका है। साथ ही अपने आपत्ति आवेदन के समर्थन में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात आदि पेश नहीं किये है, जिनसे उनकी आपत्ति के तथ्यों का पक्ष सबल हो। प्रकरण में वादी के विभाजन के दावे में विभाजन प्रस्ताव पेश हो चुका है। उक्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट में संलग्न मौका रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 1 में दूसरे पेरे में वर्णित क्र.सं. 3 में उक्त सुमन पत्नी कैलाश (आपत्तिकर्ता/प्रतिवादिया सं. 5) के उपस्थित होने संबंधी उल्लेख किया गया है तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट में संलग्न मौका रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 2 में दूसरे पेरे में वर्णित क्र.सं. 1 में उक्त सुमन पत्नी कैलाश (आपत्तिकर्ता/प्रतिवादिया सं. 5) के हस्ताक्षर करने से इंकारी बाबत उल्लेख किया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त आपत्ति आवेदन खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वकील प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 के आपत्ति आवेदन <u>(स) बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति बाबत आवेदन दिनांकित 27.10.2025</u>–

उक्त आवेदन में संक्षिप्ततः वकील प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 ने निवेदन किया है कि "उनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 के रूप में पक्षकार है प्रतिवादीगण ने उक्त वाद–पत्र में वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये बंटवारा के दावे में वादास्पद कृषि भूमि को लेकर बंटवारा करवाये जाने हेतु सहमति दिये जाने पर दिनांक 14.08.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रारंभिक डिक्री जारी करते हुए वादास्पद कृषि भूमि को बंटवारें के संबंध में तहसीलदार धोद को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रारंभिक डिक्री आदेशानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर माननीय न्यायालय के यहां प्रस्तुत किया जाना था परंतु माननीय न्यायालय द्वारा प्रारंभिक डिक्री के अनुसार बंटवारे के संबंध में आदेश की पालना नहीं करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को न तो कोई नोटिस जारी किया गया तथा न ही पेश किया गया बंटवारा प्रस्ताव प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तैयार किया गया, जो कि शर्त सं. (ए) के अनुसार पक्षकारान जिस हिस्से पर काबिज है उसके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया जबकि वर्तमान में प्रतिवादीगण अपने हिस्से के अनुसार भूमि खसरा नंबर 169 व 216 तथा 165 व 166 में अपने पूर्वजों के काल से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। परंतु हल्का पटवारी व तहसीलदार मौके पर गये बिना ही वादी से साज करके प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में ही उक्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया हे जो नियम विरूद्ध होने के कारण प्रार्थीगण की उपस्थिति में पुनः तैयार किया जाना आवश्यक है। इसी अनुसार शर्त सं. (बी) में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की आपसी सहमति से तैयार कर विभाजन प्रस्ताव माननीय न्यायालय के यहां पेश किया जाना आवश्यक था। परंतु परंतु हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं समझते हुए मौके पर गये बिना ही वादी से साज करके प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में ही उक्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो नियम विरूद्ध होने के कारण प्रार्थीगण की उपस्थिति में पुनः तैयार किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

इसी अनुसार शर्त सं. (सी) के अनुसार सभी खातेदारान व पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से वादास्पद कृषि भूमि में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कृषि भूमि हर पक्षकार व खातेदार के हिस्से में विभाजन किया जाना आवश्यक होता है। परंतु हल्का पटवारी व तहसीलदार मौके पर गये बिना ही वादी से साज करके प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में ही उक्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया हे जो नियम विरूद्ध होने के कारण प्रार्थीगण की उपस्थिति में पुनः तैयार किया जाना आवश्यक है। इसी अनुसार शर्त सं. (डी) में भी पक्षकार को नोटिस देकर नोटिस की प्रति बंटवारा प्रस्ताव के साथ भेजा जाना आवश्यक है। लेकिन नोटिस की कार्यवाही न कर प्रतिवादीगण को बंटवारा प्रस्ताव की कोइ सूचना नहीं दिये जाने के कारण उक्त बंटवारा प्रस्ताव विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव को निरस्त कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की उपस्थिति में पुनः बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रार्थीगण को उनके कब्जे के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी समानान्तर कृषि भूमि दिये जाने के आदेश करते हुए बंटवारा प्रस्ताव पुनः तैयार करवाया जावें।"

उक्त आवेदन का तथा समग्र पत्रावली आदि का गहनता से अवलोकन करने व उभयपक्षकारान की बहस के मनन के उपरांत यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि हस्तगत दावा विभाजन के संबंध में है, जिसमें वादी के द्वारा अपना हिस्सा अलग करवाकर बंटवारा चाहता है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.08.2025 को जारी की जा चुकी है, जिसके बाद तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ. /2025/1725 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट पेश हो चुकी है। प्रकरण दावा में उक्त आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 की ओर से मुख्य आपत्ति का उल्लेख किया है कि उनकी सहमति के जाहिर करने पर प्रकरण दावा में जारी प्राथमिक डिक्री दिनांकित 14.08.2025 को जारी की गई थी। प्रकरण में पूर्व सहमति दिये जाने के बावजूद भी हस्तगत आपत्ति आवेदन, जो उनके द्वारा पेश किया गया है वह निराधार प्रतीत होता है। क्योंकि हस्तगत दावा न्यायालय हाजा में दिनांक 01.01.2024 को दर्ज किया गया, जिसमें वादी ने अपने हिस्से की आराजियात के विभाजन का मुख्य अनुतोष चाहा है। जब प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व उक्त प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 के द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी थी, तो प्रकरण दावा में इस स्तर पर आपत्ति करना अप्रसांगिक सा प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण में वादी व उक्त प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 की सहमति के आधार पर ही प्राथमिक डिक्री जारी करने के बाद हस्तगत दावे में विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त आपत्ति आवेदन खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादी के द्वारा वर्णित वादग्रस्त आराजियात में अपने कब्जे काश्त व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन बाबत हस्तगत वाद पेश किया है, जिसमें तहसीलदार की ओर से विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट पेश हो चुकी है। जिसका अवलोकन उभयपक्ष कर चुके है। जिसमें उक्त प्रतिवादिया सं. 5 व प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 के आवेदनों का निस्तारण/विवेचन के बाद शेष प्रतिवादीगण विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन हेतु अनापत्ति जाहिर कर चुके है। अतः उपर्युक्त सभी तथ्यों व विवेचन के आधार पर विवादित भूमियों के बंटवारें की अंतिम डिक्री तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील प्रतिवादिया सं. 5 के आवेदन (अ) प्रार्थना–पत्र बाबत राजस्व अपील अधिकारी के यहां लम्बित बाजदायरी सं. 11/2025 बउनवानी सुमन बनाम प्रभू वगैरह के दौरान प्रारम्भिक डिक्री की कार्यवाही रोके जाने बाबत आवेदन दिनांकित 17.10.2025, (ब) आपत्ति विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 16.09.2025 आवेदन दिनांकित 27.10.2025 तथा वकील प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 के आवेदन (स) बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति बाबत आवेदन दिनांकित 27.10.2025 को अलग–अलग रूप से अस्वीकार किये जाते है तथा तहसीलदार, धोद के पत्रांक भू.अ./2025/1765 दिनांक 16.09.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा सं. 165 रकबा [illegible] हेक्टेयर, खसरा सं. 169 रकबा 0.0700

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9700 हेक्टेयर व खसरा सं. 216 रकबा 1.0700 का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	कुरडाराम पुत्र धन्नाराम जाति माली सा. देह	165 मिन	0.0677	बारानी–1
	कुल	किता 1	0.0677	–
2	प्रभू पुत्र लादू जाति माली सा. देह	165 मिन	0.4034	बारानी–1
	कुल	किता 1	0.4034	–
3	भागोती पत्नी भंवरलाल जाति माली सा. देह राहिन एस.के. जी.बी. शाखा धोद	165 मिन	0.4034	बारानी–1
	कुल	किता 1	0.4034	–
4	भागोती पत्नी भंवरलाल हि. 1/3 राहिन एस.के.एस.बी. शाखा धोद कुरडाराम पुत्र धन्नाराम हि. 1/3 प्रभू पुत्र लादू हि. 1/3 जाति माली सा.देह	165 मिन	0.0255	गै.मु.रास्ता
	कुल	किता 1	0.4034	–
5	सुमन पत्नी कैलाश जाति माली सा. देह राहिन बी.आर.के. जी.बी. शाखा धोद	169	0.0700	बारानी–2
	कुल	किता 1	0.0700	–
6	सुमन पत्नी कैलाश हि. 1093/2140 राहिन बी.आर.के.जी. बी. शाखा धोद चन्द्रपाल पुत्र धन्ना हि. 2997/10700 मदन पुत्र लादू हि. 377/2140 डालूराम पुत्र धन्नाराम हि. 353/10700 समस्त जाति माली सा. देह	216	1.0700	बारानी–2
	कुल	किता 1	1.0700	–

तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1765 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह निर्णय आज दिनांक /0 .11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

प्रभु   बनाम   कुरडाराम आदि

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर– 01/2024 (नया मु.सं. 194/2025)   निर्णय दिनांक– 10.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर बहाजिरी श्री जयपाल सिंह ओलखा, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री बनवारीलाल बरवड़, एड., श्री दिनेश कुमार सैनी, एड., श्री राजेश माथुर, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वकील प्रतिवादिया सं. 5 के आवेदन (अ) प्रार्थना–पत्र बाबत राजस्व अपील अधिकारी के यहां लम्बित बाजदायरी सं. 11/2025 बउनवानी सुमन बनाम प्रभू वगैरह के दौरान प्रारम्भिक डिक्री की कार्यवाही रोके जाने बाबत आवेदन दिनांकित 17.10.2025, (ब) आपत्ति विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 16.09.2025 आवेदन दिनांकित 27.10.2025 तथा वकील प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4 के आवेदन (स) बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति बाबत आवेदन दिनांकित 27.10.2025 को अलग–अलग रूप से अस्वीकार किये जाते है तथा तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1765 दिनांक 16.09.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा सं. 165 रकबा 0.9000 हेक्टेयर, खसरा सं. 169 रकबा 0.0700 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9700 हेक्टेयर व खसरा सं. 216 रकबा 1.0700 का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	कुरडाराम पुत्र धन्नाराम जाति माली सा. देह	165 मिन	0.0677	बारानी–1
	कुल	किता 1	0.0677	–
2	प्रभू पुत्र लादू जाति माली सा. देह	165 मिन	0.4034	बारानी–1
	कुल	किता 1	0.4034	–
3	भागोती पत्नी भंवरलाल जाति माली सा. देह राहिन एस.के. जी.बी. शाखा धोद	165 मिन	0.4034	बारानी–1
	कुल	किता 1	0.4034	–
4	भागोती पत्नी भंवरलाल हि. 1/3 राहिन एस.के.एस.बी. शाखा धोद कुरडाराम पुत्र धन्नाराम हि. 1/3 प्रभू पुत्र लादू हि. 1/3 जाति माली सा.देह	165 मिन	0.0255	गै.मु.रास्ता
	कुल	किता 1	0.4034	–
5	सुमन पत्नी कैलाश जाति माली सा. देह राहिन बी.आर.के. जी.बी. शाखा धोद	169	0.0700	बारानी–2
	कुल	किता 1	0.0700	–
6	सुमन पत्नी कैलाश हि. 1093/2140 राहिन बीआर के जी. बी. शाखा धोद चन्द्रपाल पुत्र धन्ना हि. 29[illegible]0 मदन पुत्र लादू हि. 377/2140 [illegible] 353/10700 समस्त जाति माली सा. देह	216	1.0700	बारानी–2
	कुल	किता 1	1.0700	–

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1765 दिनांक 16.09.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों।

यह आज तारीख 10.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला-सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	रुपया
जोड़		जोड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner